राजस्थान विधान सभा

षष्ठम् सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 10 मार्च, 2011

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. शोकाभिव्यक्ति

निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी :-

1. श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई - पूर्व प्रधानमंत्री, नेपाल
2- श्री अर्जुन सिंह - पूर्व राज्यपाल, पंजाब एवं पूर्व मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
3- श्री महबूब अली - पूर्व राज्यमंत्री एवं सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

प्रशासनिक सुधार विभाग

I- श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्याः प.20(84) एआर/आरटीआई /2009 दिनांक 2.11.2010, जिसके द्वारा सरकार द्वारा स्थापित राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को आसूचना और सुरक्षा संगठन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे।

ऊर्जा विभाग

II- डॉ0 जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्याः राविविआ/सचिव/विनि/81 दिनांक 24.5.2010, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (कैप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत विक्रय के लिये टैरिफ) विनियम, 2010 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखेंगे ।

उद्योग विभाग

III - श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, उद्योग विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- अधिसूचना संख्याः आरएफसी/पीए-23(32) दिनांक 1.6.2010, जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) रेग्युलेशन्स, 1958 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्याः आरएफसी/पीए-23(5) दिनांक 14.9.2009, जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) रेग्युलेशन्स, 1958 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्याः आरएफसी/पीए-23(5) दिनांक 14.9.2009, जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम स्टाफ (रिवाइज्ड पे स्केल) नियम, 2008 विरचित किये गये हैं ;

..2..

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

IV- डॉ0 राजकुमार शर्मा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना संख्याः एफ.7(7)डीएसटी/पीआईसी/जी-I/2के/45 दिनांक 18.1.2011, जिसके द्वारा भौगोलिक संकेतकों के पंजीयन हेतु नीति घोषित की गई है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

(1) श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री :-

I- आउटपुट बजट वर्ष 2009-2010 एवं आउटकम बजट
वर्ष 2010-2011 ; तथा

II- राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 ;

- सदन की मेज पर रखेंगे ।

(2) डॉ0 जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

I- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104 (4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2005-2006 के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी ; एवं

II- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़ का नवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2008-2009

(3) श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

I- वित्त अधिनियम, 1951 की धारा-37(7) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के अंकेक्षण प्रतिवेदन ; एवं

II- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010.

(4) श्री बृजकिशोर शर्मा, परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 सदन की मेज पर रखेंगे।

(5) श्री मुरारीलाल मीणा, तकनीकी शिक्षा (कृषि) राज्यमंत्री, निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

I- महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 ; एवं

II- एस.के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम की धारा-32(4) के अन्तर्गत एस.के. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010.

4. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

''यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें

प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।''

5. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011

(I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-1)

"राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।''

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(2) राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011

(I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-2)

"राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्घ अधिनियम, 2005 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

..4..

<u>(3) राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011</u>

(I) श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-3)

"राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

<u>(4) राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011</u>

(I) श्री राजेन्द्र पारीक, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011
(2011 का विधेयक संख्या-7)

"राजस्थान राज्य में विभिन्न अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञाओं और अनुमोदनों की त्वरित और समयबद्ध मंजूरी के लिये तथा सक्षम प्राधिकारियों के समय पर कार्य करने में विफल रहने की दशा में उपयोग में लाई जाने वाली एक वैकल्पिक एकल खिड़की अनुज्ञापन प्रणाली को समर्थ बनाने के लिये, विनिधानकर्ता के प्रति अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता देने के लिये तथा इससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्या-4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

<u>6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012</u>

<u>प्रथम अवस्था</u>

<u>सामान्य वाद-विवाद</u>

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012 पर सामान्य वाद-विवाद होगा ।

एच.आर.कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 9 मार्च, 2011